न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण		**अप्रार्थीगण**
1.जगाराम पुत्र सदाजी जाति मेघवाल निवासी भेव तह0 शिवगंज 2.वचनाराम पुत्र होसारामजी जाति मेघवाल निवासी भेव तह0 शिवगंज	**बनाम**	1.मोपाराम पुत्र हिम्मतरामजी जाति सरगरा निवासी भेव तह0 शिवगंज 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राव		**विद्वान अधिवक्ता श्रीमती गीता कुंवर**

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 27 / 2025
दिनांक 14.11.2025

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थीगणों ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राव ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की मौजा भेव, पटवार हल्का बागसीन के खसरा सं. 82 रकबा 0.6637 हैक्टर आई हुई है तथा अप्रार्थी सं. 01 की कब्जे काश्त की राजस्व भूमि खसरा सं. 81 रकबा 2.6305 हैक्टर की अडौस पडौस में आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की राजस्व आराजी से लगती हुई अप्रार्थी सं. 01 की राजस्व आराजी आई हुई है, प्रार्थीगण की राजस्व आराजी पर कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए अप्रार्थी सं. 01 के खसरा सं. 81 की माठ से लगते हुऐ कदमी रास्ते से आने जाने हेतु उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 01 की राजस्व आराजी के पडौस खसरा सं. 81 के माठ के किनारे किनारे होकर कदमी रास्ते से अपने खेत मे जाने हेतु वर्षो से पूर्वजो के समय से वर्षों से सुगमता से बेरोक टोक आ जा रहे थे तथा प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही उक्त खसरान् की माठ के किनारे किनारे रास्ते को कृषि कार्य व पशुओ व साधनो के आने जाने के लिए उपयोग में ले रहे है, लेकिन अब पिछे एक–दो माह से अप्रार्थी सं. 01 जान बुझकर उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को रोक टोक रहा है, तथा उक्त कदमी रास्ते से प्रार्थीगण को खेत में जाने से रोककर मरने मारने की धमकी दे रहा है, जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत पर जाकर कृषि कार्य करना असंभव हो गया है। प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने मे जाने से रोकने हेतु खसरा सं. 81 के खातेदार आवागमन कदमी रास्ते मे कांटो की बाड व पाल (धोरा) लगाकर बन्द कर दिया है व प्रार्थीगण को रास्ते से निकलने नही दे रहे है। प्रार्थीगण को आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र में खसरा सं 81 के लगती माठ के किनारे किनारे वर्णित जगह से रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण के खेत पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ते का पूर्णतया अभाव है। प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता स्वयं की सुविधा की दृष्टि से नहीं मांगा गया है अपितु प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेत पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ते के अभाव में खसरा सं. 81 की माठ के किनारे किनारे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शित 'ए' से 'बी' स्थान तक 20 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीगण विधि मे निहित प्रावधान अनुसार रास्ते के बदले नियत की जाने वाली राशि अदा करने के लिए तत्पर एवं तैयार है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार प्रार्थीगण के खसरा सं. 82 में अप्रार्थी सं. 1 के खसरा सं. 81 की माठ के किनारे प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में दर्शाए 'ए' से 'बी' स्थान तक 20 फीट चौडा रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद (दर्ज) करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2024 को दर्ज रजिस्टर किंया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र क्रमाक 650 दिनाक 18.12.2024 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 18.03.2025 को पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी थी। परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के आधार पर दिनांक 21.04.2025 को पत्रावली पुनः रिस्टोर की गई। दिनांक 09.09.2025 को अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। तथा दिनांक 22.08.2025 को तहसीलदार शिवगंज ने रास्ते का प्रस्ताव पेश किया उनके पत्र क्रमांक 449 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा रास्ते का प्रस्ताव पेश किया। जिसमें तहसीलदार शिवगंज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मौजा भेव पटवार हल्का बागसीन के खसरा न. 82 रकबा 0.6637 हैक्टयर भूमि में पहुंचने के लिये रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थीगणो द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा न. 81 रकबा 2.6305 हैक्टयर में से है. उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी में प्रवेश करने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थी के खसरा न. में प्रवेश करने के लिये प्रस्तावित मार्ग मौजा भेव के खसरा न 81 रकबा 2.6305 हैक्टयर किस्म पडत।। मेसे गुजरता है। खसरा न. 81 का खातेदार मोपाराम पुत्र हेमताराम जाति सरगडा सा.देह खातेदार है।

लगातार पेज–2

सहायक कलक्टर
(सिरोही)

प्रस्तावित रास्ता 10 फिट (अर्थात 3.05 मीटर) चौडा व 193 मीटर लम्बा है जिसका कुल क्षेत्रफल 589 वर्गमीटर बनता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम भेव के खसरा नं. 80 रकबा 0.3723 हैक्टयर किरम रास्ता से जुडता है जो लघुतम दूरी पर है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये (प्रस्तावित) रास्ते के उत्तर–पूर्वी कोने पर अप्रार्थी मोपाराम पुत्र हेमताराम जाति सरगडा खातेदार द्वार एक विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित करवा दिया गया है अतः उक्त कोने की भूमि को छोडते हुए वर्तमान रास्ता प्रस्तावित किया जा रहा है जो संलग्न परिशिष्टि व में दर्शित है। प्रस्तावित रास्ता की भूमि ग्राम भेव के खसरा संख्या 81 की भूमि है जो संलग्न गिरदावरी अनुसार सिंचित भूमि है। संलग्न परिशिष्टि व में दर्शित है। प्रार्थी द्वारा रास्ता 10 फिट चौडा चाहा गया है। जिस कारण 10 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 4,47000/–प्रति हैक्टयर रुपये है जिसके अनुसार 589 वर्गमीटर की डीएलसी अनुसार किमत 26329/– रूप्ये बनते है जिसका दुगना 52,658/– रूपये बनते है।

दिनांक 07.11.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर तहसीलदार शिवगंज द्वारा भिजवाये गये रास्ते के प्रस्ताव पर उभय वकील पक्षकारान द्वारा दिनांक 7.11.2025 को बहस की जिसे सुना गया प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार शिवगंज द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव को उचित बताया व अपनी सहमति प्रदान की गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन कर बहस में कथन किये कि प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 81 की माठ के सहारे सहारे कोई कदीमी रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतू अन्य रास्ते उपलब्ध हैं, प्रार्थीगण अपने खेत में आना जाना गौचर की तरफ से एवम् वाला की तरफ से करते हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतू अप्रार्थी संख्या एक की भूमि के माठ के सहारे सहारे न तो कोई रास्ता मौजूद रहा हैं ना ही कोई निकटम रास्ता हैं। जिस स्थान पर प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहा गया हैं उस स्थान पर अप्रार्थी संख्या एक के दो ट्यूबवेल किये हुये हैं, पाईप लाईन डाली हुई हैं एवम् विद्युत की डी. पी. लगी हुई हैं। प्रार्थीगण ने अपने उक्त पद में कदमी पूर्व से पूर्वजो के समय से सुगमना से बेरोक टोक आने जाने का उल्लेख गलत किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त गलत तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया हैं जो खारिज योग्य है।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य, विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन व उस पर मनन किया जो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि में पंहुचने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लधुत्तम दूरी पर स्थित है, रास्ते की अत्यंत आवश्यकता सिद्ध की है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगणों को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत समझते है।

कसं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	खसरे में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल	डीएलसी दर	डीएलसी दर के कीमत रूपये	प्रार्थीगणों द्वारा जमा कराने योग्य दुगुनी राशि
1	मोपाराम पुत्र हिम्मतरामजी जाति सरगरा निवासी भेव	81	3.05X193=589 वर्गमीटर	447000 रू0 प्रति0 हैक्टयर	26329	52,658/–रूपये अक्षरे बावन हजार छः सौ अठावन रूपये।

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि मौजा भेव तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 82 रकबा 0.6637 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा भेव के उपर सारणी के अनुसार भूमि में से पंहुचने हेतु मौजा भेव के खसरा नं0 81 रकबा 2.6305 हैक्टयर में से 3.05 मीटर चौडा एवं 193 मीटर लम्बाई कुल क्षैत्रफल 589 वर्गमीटर की डीएलसी दर 4,47,000/–रूपये प्रति हेक्टयर होने से राशि 26329/–रूपये होती है जिसकी **दुगनी राशि 52658/– (बावन हजार छः सौ अठावन रूपये)** का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा संबंधित अप्रार्थी को जमा कराने या खातेदार द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा **एनेक्चर–1** को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)
शिवगंज

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 630
प्रतिलिपिः–

दिनांक 14.11.2025

तहसीलदार शिवगंज को एक माह में पालना कर रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)